रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2013/फाल्गुन 28, 1934

No. 680] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2013/PHALGUNA 28, 1934

IndiaCode

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2013

का.आ. 775(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजय अच्युतराव देशपांडे, फ्लैट 403, बिल्डिंग ए-26, हैप्पी वैली होम्स, मनपाड़ा, घोदबुन्दर रोड, थाने (पश्चिम)-400607, महाराष्ट्र, को दिनांक 18 मार्च, 2013 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2013

S.O. 775(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010(19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Ajay Achyutrao Deshpande, Flat 403, Building A-26, Happy Valley Homes, Manpada, Ghodbunder Road, Thane (W)-400607, Maharashtra, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from 18th March, 2013 for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. 17(30)/2012-PL/NGT]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

1175 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.